

- (ग) स्वदेशी कार्यकलापों/सामूहिक प्रदर्शन के लिए उपस्कर : लेजियम (50 जोड़ी); डम्बल्स (50 जोड़ी); भारतीय क्लब (50 जोड़ी), फ्लैग; हूप्स; वैण्ड्स; बाल्स; अम्ब्रेला; स्किपिंग रोप्स; संगीत सिस्टम; संगीत - सीडी/कैसेट; सामग्री जैसेकि स्कार्फ ड्रिल, रिबन, प्लेकार्ड आदि, सामूहिक प्रदर्शन कार्यकलापों के लिए।
- (ङ) जिमनास्टिक्स एपेरेट्स : पैरेलल बार (एक सेट) असमान पैरेलल बार (एक सेट), हॉरिजेंटल बार (एक सेट); दो रोमन रिंग (एक सेट), क्लाइम्बिंग रोप (मनीला) (छ:), मैट (बारह रबड़, बारह कॉयर), बैलेंस बीम (समायोजन योग्य सेट), मल्टी-जिम (बारह स्टेशन) (एक सेट), वाल्टिंग टेबल (एक सेट), बीट बोर्ड (दो), क्रैश मैट (एक)।

6.3 सांस्कृतिक कार्यकलाप

आवश्यक होने पर विभिन्न कार्यकलापों के लिए उपयुक्त और पर्याप्त वाद्य उपलब्ध कराए जाने चाहिए।। लघु खेलों, मनोरंजन खेलों, रिलेज और लड़ाकू खेल के लिए अपेक्षित अन्य उपस्कर जरूरत होने पर और विशेषज्ञता आधार पर खरीदे जाने चाहिए।

6.4 अन्य सुविधाएं

- (i) शिक्षण व अन्य प्रयोजनों के लिए अपेक्षित संख्या में कार्यात्मक और उपयुक्त फर्नीचर।
- (ii) संस्थान, पुरुष और महिला स्टाफ और छात्रों के लिए पृथक सामान्य कक्षों की व्यवस्था करेगा।
- (iii) पर्याप्त संख्या में शौचालयों की पुरुषों और महिलाओं के लिए, स्टाफ और छात्रों के लिए अलग-अलग व्यवस्था की जाएगी।
- (iv) वाहनों की पार्किंग के लिए व्यवस्था की जानी चाहिए।
- (v) संस्थान में सुरक्षित पेय जल की व्यवस्था की जानी चाहिए।
- (vi) कैम्पस की नियमित सफाई, पानी और शौचालय सुविधाओं, फर्नीचर व अन्य उपस्करों की मरम्मत और उन्हें बदलने की प्रभावी व्यवस्था की जानी चाहिए।

(टिप्पणी: संयुक्त संस्थान के मामले में, अवसंरचना व अन्य सुविधाओं की विभिन्न शिक्षक शिक्षा कार्यक्रमों के लिए भागीदारी की जानी चाहिए।)

7. प्रबंधन समिति

संस्थान में एक प्रबंध समिति होगी, जिसका गठन सम्बद्ध विश्वविद्यालय/संबंधित राज्य सरकार के नियमों के अनुसार, यदि कोई हों, किया जाएगा। ऐसे नियमों के अभाव में संस्थान अपने आप प्रबंध समिति का गठन करेगा। समिति में प्रायोजक सोसायटी/ट्रस्ट के प्रतिनिधि, शिक्षाविद, शारीरिक शिक्षा विशेषज्ञ, सम्बद्ध विश्वविद्यालय और स्टाफ के प्रतिनिधि सम्मिलित होंगे।

परिशिष्ट-8

शारीरिक शिक्षा में मास्टर (एम.पी.एड.) डिग्री प्राप्त कराने वाले शारीरिक शिक्षा में मास्टर कार्यक्रम के लिए मानदण्ड और मानक

1. प्रस्तावना

- 1.1 शारीरिक शिक्षा में मास्टर (एम.पी.एड.) कार्यक्रम एक व्यावसायिक कार्यक्रम है जो उच्च माध्यमिक (कक्षा XI और XII) स्तर के लिए शारीरिक शिक्षा शिक्षक तैयार करने और साथ ही कालेजों/विश्वविद्यालयों में सहायक प्रोफेसर/निदेशक/खेल अधिकारी और शारीरिक शिक्षा कालेजों में शारीरिक शिक्षा के विश्वविद्यालय विभागों में शिक्षक प्रशिक्षण तैयार करने के लिए भी है।

2. अवधि तथा कार्य दिवस

2.1 अवधि

एम.पी.एड. कार्यक्रम दो शैक्षणिक वर्षों अथवा चार सेमेस्टर्स की अवधि के लिए होगा तथापि, छात्रों को अधिकतम तीन वर्ष की अवधि के अन्दर पाठ्यक्रम को पूरा करने की अनुमति होगी।

2.2 कार्य दिवस

- (क) प्रत्येक कलेण्डर वर्ष में कम से कम 200 कार्य दिवस/प्रत्येक सेमेस्टर में, परीक्षा और प्रवेश आदि की अवधि को छोड़कर, एक सौ कार्य दिवस होंगे।

- (ख) संस्थान एक सप्ताह में (पांच अथवा छः दिन का एक सप्ताह) कम से कम 36 घन्टे के लिए कार्य करेगा जिसके दौरान संस्थान में सभी शिक्षकों और शिक्षक प्रशिक्षकों की वास्तविक उपस्थिति आवश्यक है ताकि सलाह, मार्गदर्शन और परामर्श आदि के लिए, जब भी जरूरत हो, उनकी उपलब्धता सुनिश्चित की जा सके।

3. दाखिला, पात्रता और प्रवेश प्रक्रिया

3.1 दाखिला

प्रत्येक वर्ष के लिए 40(चालिस) छात्रों की एक बुनियादी इकाई होगी।

3.2 पात्रता

(क) कम से कम 50: अंकों के साथ शारीरिक शिक्षा में स्नातक (बी.पी.एड.) अथवा समकक्ष अथवा कम से कम 50: अंकों के साथ स्वास्थ्य और शारीरिक शिक्षा विज्ञान में स्नातक (बी.एस.सी.)।

(ख) अनु.जाति/अनु.जनजाति/अन्य पिछड़े, वर्गों व अन्य श्रेणियों के लिए अर्हक अंकों में सीटों में आरक्षण और शिथिलता केन्द्रीय सरकार/राज्य सरकार के नियमानुसार, जो भी लागू हो, प्रदान की जाएगी।

3.3 प्रवेश प्रक्रिया

प्रवेश, प्रवेश प्रक्रिया में (लिखित परीक्षा, स्वस्थता परीक्षण, साक्षात्कार और अर्हक परीक्षा में प्रतिशतता) प्राप्त अंकों अथवा राज्य सरकार। संबंधित विश्वविद्यालय की नीति के अनुसार किसी अन्य चयन प्रक्रिया के आधार पर गुणावगुणों के आधार पर किया जाएगा।

3.4 फीस

संस्थान केवल वही शुल्क लेगा जो एनसीटीई (गैर-सहायता प्राप्त शिक्षक शिक्षा संस्थानों द्वारा लिए जाने वाले शिक्षण शुल्क और अन्य शुल्कों के विनियमों के लिए दिशानिर्देश) विनियम 2002 (समय-समय पर संशोधित) के प्रावधानों के अनुरूप सम्बद्ध राज्य/संबंधित राज्य सरकार द्वारा निर्धारित हो। संस्थान विद्यार्थियों से चंदा, प्रति व्यक्ति शुल्क आदि नहीं लेगा।

4.0 पाठ्यचर्या, कार्यक्रम कार्यान्वयन और मूल्यांकन

4.1 पाठ्यचर्या

एम.पी.एड. कार्यक्रम, बाल्यावस्था, शिक्षा के सामाजिक संदर्भ, विषय जानकारी, शिक्षाशास्त्रीय ज्ञान, शारीरिक शिक्षा और संचार दक्षता के ध्येयों के अध्ययन को एकीकृत करने के लिए तैयार किया जाएगा। कार्यक्रम के अन्तर्गत अनिवार्य तथा वैकल्पिक सिद्धान्त पाठ्यक्रम और स्कूलों/कालेजों/खेल संगठनों/खेल अकादमी/खेल क्लब में अनिवार्य स्थानबद्ध प्रशिक्षण सम्मिलित होगी। सिद्धान्त तथा व्यावहारिक पाठ्यक्रमों को अनुपात के आधार पर भारिता प्रदान की जाएगी, जैसा कि संबंधन निकास द्वारा तय किया जाए। यह स्थूल रूप से एन.सी.टी.ई. द्वारा सुझाए गए (समय-समय पर संशोधित) पाठ्यचर्या फ्रेमवर्क के अनुरूप होगा, उसे संबंधित राज्य अथवा क्षेत्र के लिए संदर्भित करते हुए।

आई.सी.टी., लिंग, योगा शिक्षा और अक्षमता/समावेशी शिक्षा, एम.पी.एड. पाठ्यचर्या का एक अभिन्न भाग होगी।

(क) सिद्धान्त पाठ्यक्रम

सिद्धान्त पाठ्यक्रमों के अन्तर्गत, शारीरिक शिक्षा के क्षेत्रों में अनुसंधान को समझने और शारीरिक शिक्षा व खेल विज्ञानों में उच्च अध्ययनों के अनुप्रयुक्त क्षेत्रों में पाठ्यक्रम सम्मिलित होंगे। प्रथम वर्ष में सिद्धान्त पाठ्यक्रमों में सम्मिलित होंगे: शारीरिक शिक्षा और खेल विज्ञानों में अनुसंधान प्रक्रिया, शारीरिक शिक्षा और खेलों में अनुप्रयुक्त सांख्यिकी, शारीरिक शिक्षा में परीक्षण, माप और मूल्यांकन, योगा विज्ञान, खेल प्रशिक्षण के वैज्ञानिक सिद्धान्त, खेल प्रौद्योगिकी, कसरत का शारीरिक विज्ञान, खेल मनोविज्ञान, खेल बायोमेकेनिक्स और किनोसिओलाजी, खेल औषधि। द्वितीय वर्ष में पाठ्यक्रम में निम्नलिखित सम्मिलित होंगे - खेल प्रबंधन, शारीरिक शिक्षा में पाठ्यचर्या डिजाइन, एथलेटिक देखभाल और पुनर्वास, खेल पत्रकारिता और जन संचार प्रौद्योगिकी, खेल इंजीनियरी, शारीरिक स्वस्थता और कल्याण, मूल्य और प्यावरणीय शिक्षा, शारीरिक शिक्षा में शिक्षा प्रौद्योगिकी, स्वास्थ्य शिक्षा और खेल पोषाहार, और एक शोध निबंध।

(ख) प्रायोगिक कार्य

प्रायोगिक कार्य पाठ्यक्रम, जो क्षेत्र आधारित है, छात्रों के लिए उपयुक्त विभिन्न खेलों, खेल-कूद, शारीरिक कार्यकलापों और योगा कार्यकलापों में व्यावसायिक दक्षताएं और क्षमताएं प्राप्त करने के लिए अवसर प्रदान करने के उद्देश्य से तैयार किया जाएगा। शिक्षण, प्रशिक्षण और स्थानापन्न संबंधी कार्यकलापों के अन्तर्गत सम्मिलित है: ट्रेक और फील्ड, तैराकी, जिमनास्टिक्स, योगा, एयरोबिक्स (आत्म रक्षा तकनीकों सहित), रेकेट खेल, जैसे कि बेडमिन्टन, टेबल टेनिस, स्क्वैश, टीम खेल, जैसे कि बेस बाल, बास्केटबाल, क्रिकेट, फुटबाल, हेण्डबाल, हॉकी, नेटबाल, साफ्टबाल, शूटिंग, बालीबाल, लडाकू (काम्बोटिव) खेल जैसे कि बाक्सिंग, फेन्सिंग, जूडो, कराटे, मलखम्ब, लडाकू कलाएं, ताइक्वाण्डो, कुश्ती, मनोरंजन खेल, जैसे कि रीले खेल, लघु खेल,

लीड-अप खेल, स्वदेशी खेल, जैसे कि कबड्डी, खो-खो आदि। राष्ट्रीय महत्व के कार्यक्रमों के लिए, जैसे कि ध्वजारोहण, सलामी (मार्च पास्ट), समारोह, जैसे कि विभिन्न खेलों का शुभारम्भ, समापन, विजय समारोह, साहसिक कार्यक्रमों का प्रदर्शन, सामूहिक प्रदर्शन कार्यक्रमों का, जैसे कि डम्ब बेल, अम्ब्रेला, टिपरी, वैण्ड, अथवा कोई अन्य उपकरण।

(ग) स्थानबद्ध प्रशिक्षण

एम.पी.एड. कार्यक्रम के अन्तर्गत नवसीखियों और संस्थान के साथ लगातार क्षेत्र कार्य के लिए व्यवस्था की जाएगी, जिससे कि सामन्जसपूर्ण वातावरण तैयार किया जा सके। कार्यक्रम के अन्तर्गत ऐसे सभी कार्यक्रमों में छात्रों को अभ्यास प्रदान करके खेल-कूद तथा स्वदेशी दक्षताओं में शिक्षण सम्मिलित होगा। स्थानबद्ध प्रशिक्षण/शिक्षण अभ्यास के अन्तर्गत समुदाय के साथ, अर्थात् स्कूल/कालेज/खेलसंगठन/खेल अकादमी/खेल क्लब के साथ अन्योन्यक्रिया सम्मिलित होगी तथा उसमें निम्नलिखित संघटक शामिल किए जाने चाहिए।

कम से कम 30 पाठ आयोजित किए जाएंगे जिसमें 10 शिक्षण, 10 प्रशिक्षण और स्कूलों/कालेजों/संस्थान/विभाग में 10 स्थानापन्न सम्मिलित होंगे। संस्थान को, छात्र-शिक्षकों के क्षेत्र कार्य और अभ्यास शिक्षण सम्बद्ध कार्यक्रमों के लिए पर्याप्त संख्या में मान्यता प्राप्त स्कूल/कालेज/खेल संगठन/खेल अकादमियां/खेल क्लब सहज रूप से सुलभ होंगे। संस्थान, अभ्यास शिक्षण के लिए सुविधाएं प्रदान करने के इच्छुक स्कूल/कालेज/खेल संगठन/खेल अकादमी/खेल क्लब से एक वचनपत्र प्रस्तुत करेंगे।

संस्थान, कम से कम दस संस्थानों के साथ व्यवस्था करेंगे जिसमें स्थानबद्ध प्रशिक्षण और कार्यक्रम के अन्य कार्यक्रमों के लिए भी अनुमति प्रदान करने की उनकी इच्छा का उल्लेख किया जाएगा। ये संस्थान, सभी कार्यक्रमों के लिए तथा कार्यक्रम के पाठ्यक्रम के दौरान सम्बद्ध कार्य करने के लिए मूल सम्पर्क बिन्दु कायम करेंगे।

4.2 कार्यक्रम कार्यान्वयन

विश्वविद्यालय/संस्थान, कार्यक्रम के कार्यान्वयन के लिए निम्नलिखित उपाय करेंगे -

- (i) सभी कार्यक्रमों के लिए, कार्यकुशलता और स्थानबद्ध प्रशिक्षण सहित, एक कलेण्डर तैयार करेंगे जिसका स्थानबद्ध प्रशिक्षण के लिए विनिर्धारित संस्थान (स्कूल/कालेज/खेल संगठन/खेल अकादमी/खेल क्लब) के कार्यक्रमों के साथ सामन्जस्य किया जाएगा।
- (ii) आवधिक रूप से सेमिनार, संवाद, व्याख्यान, चर्चा समूह और छात्रों तथा संकाय के लिए योगा अभ्यास शिविर आयोजित करके शारीरिक शिक्षा और योगा शिक्षा पर व्याख्यान आरम्भ करना।
- (iii) शैक्षिक संवर्धन कार्यक्रम आयोजित करना, मूल विषयों से संकाय के साथ अन्योन्यक्रिया सहित, और शैक्षिक अध्ययन व अनुसंधान के आयोजन में भाग लेने के लिए संकाय सदस्यों को प्रोत्साहित करना।
- (iv) छात्रों को विचारशील विचारधारा और कान्तिक जिज्ञासात्मक दक्षताएं विकसित करने में सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से कक्षा में सहभागी शिक्षण दृष्टिकोण अपनाना, छात्र, सतत और व्यापक मूल्यांकन रिपोर्ट और प्रेक्षण रिकार्ड रखेंगे जिनसे विचारशील विचारधारा के लिए अवसर उपलब्ध होता है।
- (v) संस्थान के लिए संसाधनों के विकास पर बल दिया जाना चाहिए और पाठ्यचर्या व शिक्षक शिक्षा संस्थान के संचालन दोनों के माध्यम से स्थानबद्ध प्रशिक्षण संस्थान को बढ़ावा दिया जाना चाहिए।
- (vi) छात्रों और संकाय की शिकायतों का समाधान करने के लिए तथा कठिनाई समाधान के लिए संस्थान में प्रणालियाँ तथा प्रावधान किए जाने चाहिए।
- (vii) स्थानबद्ध प्रशिक्षण के लिए, शिक्षक शिक्षा संस्थान और प्रतिभागी संस्थान, छात्र-शिक्षकों के मानीटरन, पर्यवेक्षण, ट्रेकिंग और आंकलन के लिए एक परस्तर रूप से सहमत पद्धति कायम करेंगे।

4.3 मूल्यांकन

प्रत्येक सिद्धान्त पाठ्यक्रम के लिए कम से कम 20: से 30: तक अंक सतत आन्तरिक मूल्यांकन के लिए और 70: से 80: तक अंक परीक्षा निकाय द्वारा आयोजित टर्म के अन्त में परीक्षा के लिए निश्चित किए जाने चाहिए तथा कुल अंकों में से एक चौथाई अंक, स्थानबद्ध प्रशिक्षण कार्यों में छात्रों के निष्पादन का मूल्यांकन करने के लिए आवंटित किए जाएंगे, अभ्यास शिक्षण के मूल्यांकन सहित आन्तरिक और बाहरी आंकलन के लिए भारिता का निर्धारण संबंधन निकाय द्वारा किया जाएगा। छात्रों का आन्तरिक आंकलन पूरे प्रायोगिक कार्य पाठ्यक्रम के दौरान किया जाना चाहिए और न कि केवल उन्हें अध्ययन के अपने यूनिटों के भाग के रूप में दिए गए प्रोजेक्ट। क्षेत्र कार्य के आधार पर प्रयुक्त आंकलन के लिए आधार और प्रयुक्त मापदण्ड छात्रों के लिए पारदर्शी होना चाहिए ताकि उन्हें व्यावसायिक फीडबैक से अधिकतम लाभ प्राप्त हो सके। छात्रों को, व्यावसायिक फीडबैक के भाग के रूप में उनके ग्रेडों/अंकों के बारे में जानकारी दी जाएगी जिससे कि उन्हें अपने निष्पादन में सुधार करने का अवसर प्राप्त हो सके। आन्तरिक आंकलन के आधार के अन्तर्गत, अन्य बातों के साथ-साथ अलग-अलग अथवा समूह कार्य, प्रेक्षण रिकार्ड, खेल-विशिष्ट और सामग्री-सम्बद्ध डायरियां/विचारशील जर्नल शामिल हो सकते हैं।

5. स्टाफ

5.1 संकाय

(क) संख्या (दो वर्षीय कार्यक्रम के लिए 80 की संयुक्त संख्या के साथ चालीस छात्रों की बुनियादी इकाई के लिए) :

प्रोफेसर	:	एक
सह प्रोफेसर	:	दो
सहायक प्रोफेसर	:	तीन
खेल प्रशिक्षक	:	तीन (अंशकालिक)

अध्यापक, पाठ्यचर्या में सम्मिलित अध्ययन के विभिन्न क्षेत्रों से लिए जाएंगे।

5.2 अर्हताएं

(ए) प्रोफेसर 55: अंकों के साथ शारीरिक शिक्षा में स्नातकोत्तर डिग्री (एम.पी.एड./एम.पी.ई.) अथवा इनके समकक्ष ग्रेड।

- (i). शारीरिक शिक्षा के क्षेत्र में पी.एच.डी।
- (ii). शारीरिक शिक्षा कालेज/विभाग में कम से कम दस वर्ष का शिक्षण/अनुसंधान अनुभव, जिसमें से कम से कम पाँच वर्ष का अनुभव स्नातकोत्तर संस्थान/विश्वविद्यालय विभाग में होना चाहिए।

टिप्पणी :-वि.अ.आ./संबंधन निकाय/राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर निर्धारित कोई अन्य अपेक्षा।

(बी)

एसोसिएट प्रोफेसर

- (i). शारीरिक शिक्षा में स्नातकोत्तर डिग्री (एम.पी.एड./एम.पी.ई.) अथवा 55: अंकों अथवा समकक्ष ग्रेड के साथ कोई संगत विषय।
- (ii). शारीरिक शिक्षा के विषय में पी.एच.डी।
- (iii). शारीरिक शिक्षा विभाग/कालेज में कम से कम आठ वर्ष का शिक्षण/अनुसंधान अनुभव, जिसमें से कम से कम तीन वर्ष का अनुभव स्नातकोत्तर स्तर पर होना चाहिए।

टिप्पणी :-वि.अ.आ./संबंधन निकाय/राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर निर्धारित कोई अन्य निर्धारण।

(सी)

सहायक प्रोफेसर

- (i). कम से कम 55 प्रतिशत अंकों सहित शारीरिक शिक्षा में स्नातकोत्तर डिग्री (एम.पी.एड./एम.पी.ई.) अथवा समकक्ष ग्रेड।
- (ii). वि.अ.आ./संबंधन निकाय / राज्य सरकार द्वारा सहायक प्रोफेसर के पद के लिए निर्धारित कोई अन्य निर्धारण अनिवार्य होगा।

(डी)

सहायक योग प्रोफेसर

न्यूनतम 55 प्रतिशत अंकों के साथ योग में स्नातकोत्तर डिग्री।

टिप्पणी :-वि.अ.आ./संबंधन निकाय/राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर निर्धारित कोई अन्य अपेक्षा।

(ई)

खेल प्रशिक्षक/कोच

कम से कम एक खेल में (जो भी लागू हो) विशेषज्ञता के साथ शारीरिक शिक्षा में स्नातकोत्तर डिग्री/स्नातक डिग्री अथवा खेल में (जो भी लागू हो) किसी कोचिंग में डिप्लोमा/स्नातकोत्तर डिप्लोमा।

टिप्पणी :- वि.अ.आ./संबंधन निकाय/राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर निर्धारित कोई अन्य अपेक्षा।

(संकाय का उपयोग एक शिथिलनीय ढंग से शिक्षण के लिए किया जा सकता है जिससे कि उपलब्ध शैक्षिक विशेषज्ञता का इष्टतम उपयोग किया जा सके)

5.3

व्यावसायिक सहयोगी स्टाफ/प्रशासनिक

1. कार्यालय अधीक्षक	:	एक
2. तकनीकी सहायक	:	दो
3. कम्प्यूटर सहायक	:	एक
4. हेल्पर/ग्राउण्ड व्यक्ति/मार्कर्स	:	दो
5. प्रयोगशाला परिचर	:	दो

अर्हताएं :

संबंधित संबंधन विश्वविद्यालय/राज्य सरकार/वि.अ.आ. द्वारा निर्धारित मानदण्डों के अनुसार होगी ।

5.4 सेवा की शर्तें

शिक्षण और गैर-शिक्षण स्टाफ की सेवा शर्तें, चयन प्रक्रिया, वेतनमान, सेवानिवृत्ति की आयु व अन्य लाभ सहित, राज्य सरकार/संबंधन निकाय की नीति के अनुसार होगी ।

6. सुविधाएं**6.1 आधारिक (भौतिक) सुविधाएं**

- (i). संस्थान के पास कम से कम आठ एकड़ भूमि होनी चाहिए जिससे संस्थागत इमारत के लिए तथा भावी विस्तार के लिए पर्याप्त स्थान और खेल-कूद आयोजित करने के लिए खुली जगह उपलब्ध होगी । निर्मित क्षेत्र, कक्षा कमरे आदि को मिलाकर 1200 वर्ग मीटर (एक हजार दो सौ वर्ग मीटर) के कम नहीं होगा । पर्वतीय क्षेत्रों में भी यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए जहाँ कम से कम दो एकड़ भूमि प्रशासनिक इमारत के लिए और तीन एकड़ भूमि खेल-कूद सुविधाओं के लिए होगी ।
- (ii). बीस-बीस छात्रों के लिए चार कक्षा कमरों (एम.पी.एड प्रथम वर्ष के लिए और द्वितीय वर्ष छात्रों के लिए दो-दो) तथा दो सौ व्यक्तियों के वास्ते एक बहु-प्रयोजन हाल होना चाहिए, जिसका कुल क्षेत्र 2000 वर्ग फुट होगा, डायस को मिलाकर, विशेषज्ञता कक्षाओं के आयोजन के लिए पन्द्रह छात्रों के वास्ते चार छोटे कमरे, सेमिनार/ट्यूटोरियल कमरे, प्रोफेसर/अध्यक्ष, संकाय सदस्यों के लिए पृथक कमरे, प्रशासनिक स्टाफ के लिए कार्यालय और एक भण्डार होगा । प्रत्येक शिक्षण कमरे के लिए, जैसे कि कक्षा कमरा, प्रयोगशाला, पुस्तकालय आदि के लिए प्रति छात्र के वास्ते 10 वर्ग फुट (दस वर्ग फुट) से कम स्थान नहीं होगा ।
एम.पी.एड. कार्यक्रम के साथ मिलाकर अन्य कक्षाओं के संचालन के लिए निर्मित क्षेत्र निम्न प्रकार होगा :
बी.पी.एड./जमा एम.पी.एड. 2700 वर्ग मीटर
बी.पी.एड जमा डी.पी.एड जमा एम.पी.एड. 3000 वर्ग मीटर
एम.पी.एड. की एक यूनिट के लिए अतिरिक्त दाखिले के लिए क्रमशः 400 वर्ग मीटर के अतिरिक्त निर्मित क्षेत्र की आवश्यकता होगी ।
- (iii). अन्तरंग खेलों के लिए एक बहु-प्रयोजन हॉल/व्यायामशाला तथा बाह्य खेलों के लिए सुविधाओं की व्यवस्था होगी ।
- (iv). संस्थान द्वारा पुरुष और महिला संकाय और छात्रों के लिए पृथक सामान्य कमरों की व्यवस्था की जाएगी ।
- (v). पर्याप्त संख्या में शौचालयों - पुरुषों और महिलाओं और पी.डब्ल्यू.डी. के लिए अलग-अलग, स्टाफ और छात्रों के लिए, की व्यवस्था की जाएगी ।
- (vi). लडकों और लडकियों के लिए अलग-अलग छात्रावास तथा शिक्षकों के लिए कुछ रिहायशी क्वार्टरों की व्यवस्था वांछनीय है ।

6.2 उपस्कर और सामग्री**(i). पुस्तकालय**

वाचनालय कमरों की सुविधा के साथ एक पुस्तकालय होगा जो शारीरिक शिक्षा में सभी विशेषज्ञताओं और पाठ्यक्रमों से सम्बद्ध न्यूनतम दो हजार पुस्तकों, शैक्षिक विश्वकोशों, इलेक्ट्रॉनिक प्रकाशनों (सी.डी.रोम), आनलाइन संसाधनों, स्वास्थ्य/खेल शिक्षा और शिक्षक शिक्षा/स्टाफ विकास पर कम से कम पाँच संदर्भ पत्रिकाओं से सज्जित और इन्टरनेट संयोजकता से भी जुड़ा होगा । पुस्तकालय में प्रत्येक वर्ष कम से कम एक सौ उत्तम पुस्तकें शामिल की जाएंगी । पुस्तकालय में संकाय और छात्रों के उपयोगार्थ फोटोकॉपींग सुविधा तथा इन्टरनेट सुविधा के साथ पर्याप्त संख्या में कम्प्यूटर होंगे ।

(ii). प्रयोगशाला उपस्कर

बी.पी.एड. कार्यक्रम के अन्तर्गत उल्लिखित प्रयोगशालाओं के अलावा, एम.पी.एड., कार्यक्रम का संचालन करने वाले संस्थानों में नीचे वर्णित प्रयोगशालाओं के लिए विनिर्दिष्ट सुविधाएं और उपस्कर होंगे ।

(क) व्यायाम शरीर विज्ञान प्रयोगशाला

लेकटेट एनेलाइजर, शरीर संरचना एनेलाइजर, मेटाबोलिक एनेलाइजर, पेडोमीटर, बी.पी. उपकरण (शारीरिक), बी.पी. उपकरण (हस्तचालित बी.पी. उपकरण)(इलेक्ट्रॉनिक), रिकन फोल्ड कोलिपर, ड्राई रिपरोमीटर (5) हार्ट रेट मानीटर, मल्टी - फंक्शन पेडोमीटर (10), कम्प्यूटरीकृत ट्रेड मिल ।

(ख) खेल मनोविज्ञान प्रयोगशाला

ईएमजी, बायोफीडबैक, व्यक्तित्व, उत्सुकता, समूह तालमेल, आक्रोश, अभिप्रेरण, मानसिक कठोरता आत्मसम्मान, नियंत्रण क्षेत्र पर प्रश्नावलियाँ तथा ऐसी ही अन्य प्रश्नावलियाँ, पाठ्य-विवरण सामग्री, गहन, बोध उपकरण प्रत्याशा, आकलन उपकरण, फिंगर डेक्सटेरिटी टेस्ट की आवश्यकता के अनुसार।

(ग) खेल बायो-मेकेनिक्स प्रयोगशाला

कोर्स प्लेट (नवीनतम मोड्यूल पूर्ण सेट), इलेक्ट्रानिक गोनिओमीटर (नवीनतम माड्यूल), गैट इनेलीसिस सिस्टम, किसी भी समय कहीं भी वैकल्पिक प्रेशर प्लेट।

(घ) माप और खेल प्रशिक्षण प्रयोगशाला

डिजिटल बैंक/लैंग डायनामोमीटर, डिजिटल हैण्ड ग्रिप डायनामोमीटर (प्रौढ और बच्चे), स्किन कोल्डकोपिलरी, एन्थ्रोपोमीटरी किट (कम्प्यूटर) स्लाइडिंग और स्प्रेडिंग, क्लिपर, गर्थ माप - गोनिओमीटर, स्टील टेप्स, प्लेक्सोमेजर, हीथर रेट मानीटर वेडिंग मशीन, रीएक्शन टाइम एपेरेटस (दृष्य तथा श्रव्य), फूड एण्ड हैण्ड रीएक्शन, टाइम सपेरेटस वाईब्रेटर्स।

(ड) योग क्रियाओं के लिए सुविधाएं - योग मेट**6.3 सांस्कृतिक कार्यकलाप**

विभिन्न कार्यकलापों के लिए, जब भी आवश्यक हो, उपयुक्त और पर्याप्त यंत्र उपलब्ध कराए जाने चाहिए। छोटे-मोटे खेलों, मनोरंजन खेलों, रीलेज और काम्बेटिव खेलों के लिए अपेक्षित अन्य उपस्कर जरूरत और विशेषज्ञता के आधार पर खरीदे जाने चाहिए।

6.4 अन्य सुविधाएं

- (क) शिक्षण व अन्य प्रयोजनों के लिए अपेक्षित संख्या में कार्यात्मक और उपयुक्त फर्नीचर।
- (ख) वाहनों की पार्किंग के लिए पर्याप्त व्यवस्था की जानी चाहिए।
- (ग) संस्थान में सुरक्षित पेय जल की व्यवस्था की जानी चाहिए।
- (घ) कैम्पस की नियमित सफाई, पानी और शौचालय सुविधाओं की व्यवस्था (पुरुष और महिला छात्रों और शिक्षकों के लिए अलग-अलग), फर्नीचर व अन्य उपस्करों की मरम्मत और बदलने की व्यवस्था की जानी चाहिए।

टिप्पणी : यदि एक ही संस्थान द्वारा उसी कैम्पस में शिक्षा में एक से अधिक कार्यक्रम चलाए जाते हैं तो खेल के मैदान, बहुप्रयोजन हॉल, पुस्तकालय और प्रयोगशाला की सुविधाओं में (पुस्तकों और उपस्करों में आनुपातिक वृद्धि के साथ) तथा शिक्षण स्थान में भागीदारी की जा सकती है। पूरे संस्थान के लिए संस्थान का एक प्रिंसीपल होगा तथा भिन्न-भिन्न शिक्षक शिक्षा कार्यक्रमों के लिए संस्थान में अध्यक्षों की व्यवस्था की जा सकती है।

7. प्रबंधन समिति

संस्थान की एक प्रबंधन समिति होगी जिसका गठन संबंधन विश्वविद्यालय/संबंधित राज्य सरकार के नियमानुसार किया जा सकता है। ऐसे नियमों के अभाव में, संस्थान द्वारा अपनी एक प्रबंधन समिति गठित की जाएगी। समिति में प्रायोजक सोसायटी/ट्रस्ट के प्रतिनिधि, शारीरिक शिक्षाविद्, संबंधन विश्वविद्यालय और स्टाफ के प्रतिनिधि सम्मिलित होंगे।

परिशिष्ट-9

मुक्त और दूरस्थ शिक्षा प्रद्वति के माध्यम से प्रारंभिक शिक्षा में डिप्लोमा (डी.एल.एड.) प्राप्त कराने वाले प्रारंभिक शिक्षा कार्यक्रम में डिप्लोमा के मानक और मानदण्ड

1. प्रस्तावना

मुक्त और दूरस्थ शिक्षा प्रणाली के माध्यम से आयोजित किया जाने वाला प्रारंभिक अध्यापक शिक्षा कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य प्रारंभिक स्कूलों (प्राथमिक तथा उच्च प्राथमिक/मिडिल) में कार्यरत अध्यापकों की व्यावसायिक क्षमता का स्तरोन्नयन करना है। साथ ही इस पाठ्यक्रम में उन अध्यापकों को शामिल करने की परिकल्पना भी की गई है जिन्होंने औपचारिक अध्यापक प्रशिक्षण के बिना व्यवसाय में प्रवेश किया है। यह कार्यक्रम कक्षा I से VIII तक के अन्य हेतु प्रारंभिक कक्षाओं के अध्यापकों को तैयार करवाता है। इस कार्यक्रम का मिश्रित उपयोग डिजाइन, विकास तथा उसके निष्पादन हेतु किया जाएगा।

1. संस्थानों की पात्रता तथा क्षेत्रीय अधिकार-क्षेत्र**2.1 संस्थानों की पात्रता**

इस अध्यापक प्रशिक्षण कार्यक्रम को चलाने के लिए जो संस्थान पात्र है वे हैं विशेष रूप से राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय, राज्य मुक्त विश्वविद्यालय तथा निदेशालय, यूजीसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालयों के मुक्त तथा दूर अधिगम स्कूल जिनकी स्थापना; ओडीएल कार्यक्रम चलाने के लिए की गई है सम विश्वविद्यालय कृषि, तकनीकी या संबद्ध विश्वविद्यालय जिनकी विशेषज्ञता के क्षेत्र अध्यापक शिक्षा न हो कर कोई और है, और अन्य विषय क्षेत्र विश्वविद्यालय या संस्थान ओडीएल पद्धति से अध्यापक प्रशिक्षण कार्यक्रम को चलाने के लिए पात्र नहीं है।